

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अप्रैल 2010—चैत्र 25, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. एफ. 6(ए) 41-2008-1-पांच-(52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची-चार में, कॉलम (2) के अनुक्रमांक 3, 4, 6 तथा 8 के सामने कॉलम (4) में, अंक तथा शब्द “3 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “5 वर्ष” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2010

क्र. 6(ए) 41-2009-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6(ए)41-2008-1-पांच, दिनांक 15 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th April 2010

F. No. 6-A-41-2008-1-V-(52).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Taxation (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-IV, in column (4) against serial number 3, 4, 6 and 8 of column (2), for the figure and word “3 years”, the figure and word “5 years” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.